

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बनाम गोपाल (वगैरे)

म मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 70 सन् 2020

हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज

नन्दर व तारीख
अहकाम जो इत्त
हुकम की तानील
मे जारी हुए

20 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 7-7-20 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

उभय पक्ष उपस्थित पी.टी.सी. अधिकारी राजकीय
कार्य में व्यक्त हैं। उपस्थित एवं है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 28-7-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उभय पक्ष उपस्थित पी.टी.सी. अधिकारी राजकीय
कार्य में व्यक्त हैं। उपस्थित एवं है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 7-8-20 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित अप्रार्थीगण
के सम्मन काय तामिल लेकर प्राप्त हुए जिलेशा
पठकिये गये तहसीलदार माण्डल से माँका रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिलेशा बन्की गई एवं मे सीमा ज्ञान
नहीं कराया गया, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आलखे
दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके पिकड
एक तरफा कार्यवाही किये जाने का अहेश दिया
जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शा
पठ किया गया। पत्रावली फेरसत शुमार लेकर
मन्बर से ब्रम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-गहीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकतमा संख्या - 70/20 प्रा.पत्र

1- श्री नारायण जी श्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी-मेजा तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल जी श्री लक्ष्मण गुर्जर निवासी-मेजा तहसील-माण्डल (कौरा)
(प्रा-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 07-08-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....**मेजा**.....पटवार हल्का.....**मेजा**.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. **840/2, 843/2, 844/2, 850/1, 2457, 2461, 2474** कुल किता.....**07**.....रकबा.....**03**.....घा.....**1.4**.....बिरवा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हिन होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक**12-06-20**.....को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....**मेजा**.....**मेजा**.....पटवार हल्का.....**मेजा**.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. **840/2, 843/2, 844/2, 850/1, 2457, 2461, 2474** कुल किता.....**07**.....रकबा.....**03**.....घा.....**1.4**.....बिरवा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....**मेजा**.....**400/-** रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा